राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मालाखेडा अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : अनुराग हरित (आर0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/126	53, 188 RTA	07.07.2020	15-11-21

01:–श्रीराम मीना पुत्र श्री परभाती मीना, जाति–मीना, आयु 50 वर्ष, निवासी – ग्राम अचलपुरी, तहसील मालाखेडा (अलवर)

(प्रार्थी)

बनाम

01.:–परभाती मीना पुत्र श्री गणेश मीना, जाति–मीना, आयु 80 वर्ष, निवासी – ग्राम अचलपुरी, तहसील मालाखेडा (अलवर)

02.:–भागचन्द मीना पुत्र श्री परभाती मीना, जाति–मीना, आयु 45 वर्ष, निवासी – ग्राम अचलपुरी, तहसील मालाखेडा (अलवर)

03:–महेश मीना पुत्र श्री प्रभाती मीना_जाति–मीना, आयु 35 वर्ष, निवासी –ग्राम अचलपुरी, तहसील मालाखेडा (अलवर)

04:–मनोहर मीना पुत्र श्री प्रभाती मीना_जाति–मीना, आयु 35 वर्ष, निवासी –ग्राम अचलपुरी, तहसील मालाखेडा (अलवर)

05.:–तहसीलदार कम सब रजिस्ट्रार साहब, मालाखेडा (अलवर)

(अप्रार्थी)

दावा तकसीम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत तकसीम आराजी राज.काश्त.अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त उनवानी का वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष पूर्ण वाकैआत् के साथ प्रस्तुत किया हुआ है।जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी–पूरी आशा है। इस प्रार्थना–पत्र को वाद–पत्र का भाग समझा जाकर वाद–पत्र के साथ पढा जावे।

2.:–यह है कि हाल खाता संख्या 526, आराजी खसरा नं. 966/0.61, 967/0.70, 968/0.02, 986/0.30, 988/0.30, 989/0.31, 990/0.30, 991/0.87, 991/3740/0.35, 991/3741/0.25, 992/0.02, 994/0.30, 966/0.15, 997/0.17, 998/0.10 कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

15. कुल रकबा 4.75 है, ग्राम पूनखर, तहसील मालाखेडा (अलवर) में स्थित है। जिस आराजी के जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के अनुसार अप्रार्थी सं. 1, 1/2 हिस्से एवं प्रार्थी व अप्रार्थी सं 2 समान भाग अर्थात् 1/4 – 1/4 हिस्से के काबिज रिकॉडेड खातेदार काश्तकार हैं। उपरोक्त आराजी विवादित हैं।

3:–यह है कि विवादित आराजी पक्षकारान की शामलाती आराजी है। जिसका विधिवत व वाहमी तौर पर कभी कोई बटवारा पक्षकारान के मध्य नही हुआ है। अर्थात् विवादित आराजी वर्तमान में शामलाती आराजी है तथा शामलाती रूप से ही काश्त की जा रही है। कानूनन किसी भी शामलाती आराजी पर प्रत्येक सह–खातेदार प्रत्येक इंच का काबिज काश्तकार माना जाता है। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित आराजी के प्रत्येक भाग पर कब्जा व हिस्सा है। विवादित आराजी के सिंचाई का स्त्रोत अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी की आराजी हाल खाता संख्या 203, आराजी खसरा नं. 987/0.01 गै.मु. चाह है। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 उक्त चाह से प्रार्थी को विवादित आराजी की सिंचाई करने में व्यवधान उत्पन्न करते है साथ ही अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए निर्माण कार्य करने तथा विवादित शामलाती आराजी को बिना विधिवत तकसीम हुए दीगर शख्सों को मुंतकिल का दस्तावेज अप्रार्थी सं. 3 से पंजीबद्व कराने की फिराक में है। जिसका इरादा अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी के समक्ष दिनांक 01.07.2020 को जाहिर कर दिया गया।

4:–यह है कि यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा विवादित शामलाती आराजी को बिना विधिवत तकसीम हुए ही दीगर शख्स/संस्था को मुंतकिल कर मुतंकिली का दस्तावेज अप्रार्थी सं. 3 से पंजीबद्व करा लिया गया या विवादित शामलाती आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए आराजी पर निर्माण कार्य कर लिया गया या प्रार्थी को उसके हिस्सेनुसार विवादित आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात् फसल बोने–जोतने, काटने, लाने– ले जाने आदि में व्यवधान उत्पन्न किया गया तो प्रार्थी अपने अधिकारों से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगग और उसे नापूर्ति होने वाली क्षति उत्पन्न होगी। जिसकी पूर्ति अप्रार्थीगण से भविष्य में किसी भी प्रकार से नही कराई जा सकेगी।

5:–यह है कि यदि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को काई अधिकार नही है वो विवादित शामलाती आराजी को बिना विधिवत तकसीम हुए ही दीगर शख्स/संस्था को मुंतकिल कर मुतंकिली का दस्तावेज अप्रार्थी सं. 3 से पंजीबद्व करावें या विवादित शामलाती आराजी से प्रार्थी को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए आराजी पर निर्माण कार्य करें या प्रार्थी को उसके हिस्सेनुसार विवादित आराजी के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात् फसल बोने–जोतने, काटने, लाने– ले जाने आदि में व्यवधान उत्पन्न करें। क्योकि विवादित आराजी वर्तमान में शामलाती आराजी है। जिसका विधिवत व वाहमी तौर पर कभी कोई बटवारा नही हुआ है।

उपखण्ड अधिक
मालाखेड़ा (अल

प्रकार प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस बनता है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में

ह है कि प्रार्थना– पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर न्याय शुल्क 2 रूपये व तलबाना फीस
नुसार चस्पा है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान से निवेदन है अप्रार्थीगण को जरिये
ई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण हाल
ा संख्या 526, आराजी खसरा नं. 966/0.61, 967/0.70, 968/0.02, 986/0.30,
/0.30, 989/0.31, 990/0.30, 991/0.87, 991/3740/0.35, 991/3741/0.25,
/0.02, 994/0.30, 966/0.15, 997/0.17, 998/0.10 कुल किता 15, कुल रकबा 4.75
ग्राम पूनखर, तहसील मालाखेडा (अलवर) के विधिवत रूप से तकसीम होने तक आराजी
किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्स/संस्था को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुतंकिली
दस्तावेज पंजीबद्व न करें, न करावें, ना ही प्रार्थी को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर
यं कब्जा करते हुए निर्माण कार्य करें, ना ही प्रार्थी को उक्त आराजी में उसके हिस्सेनुसार
ब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग अर्थात् फसल बोने–जोतने, काटने, लाने– ले जाने आदि में
वधान उत्पन्न करें, ना ही अप्रार्थी सं 1 व 2 हाल खाता संख्या 203, आराजी खसरा नं.
7/0.01 गै. मु. चाह से प्रार्थी को स्वयं के हिस्से की आराजी की सिंचाई में कोई व्यवधान
त्पन्न करें एवं उक्त आराजी के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखें।
र्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना
त्र मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 01 ऐयर गै0मु0 चाह लिखने से सहबन से
ह गया था उक्त मुतनाजा एक ही साबिक खसरा नम्बर 339 मिन से बने है।इसलिये
वेवादित चाह खसरा नम्बर को भी आदेश ा मे दर्ज कराया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण
ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या–
02 भागचन्द पुत्र प्रभाती की ओर से प्रस्तुत किया गया कि पैरा संख्या–01 गलत एवं
मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। पैरा संख्या–02 गलत एवं
मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। कुल आराजी के हिसाब
के पूर्व में ही अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी 1/4, 1/4 भाग वादी एवं प्रतिवादी
संख्या–02 पूर्व में ही प्राप्त कर चुके है तथा कब्जा काश्त है यह कि पैरा संख्या–03 गलत एवं
मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या–01 उक्त
आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है ना ही वादी के कब्जे काश्त में
किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। पैरा संख्या–04 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के
आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजी पर किसी प्रकार का

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ना ही किसी प्रकार से वादी के उपयोग एवं उपभोग में व्यवधान किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या –02 अपना हिस्सा पूर्व में ही प्राप्त कर चुके है। पैरा संख्या–05 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। पैरा संख्या–06 कानूनी है जिसका जवाब आवश्यक नहीं है।

अतिरिक्त कथन मे यह कि प्रतिवादी संख्या–01 ने पूर्व में ही अपने भाई रमला पुत्र गणेश से जमीन को खरीदकर प्रतिवादी संख्या–01 भागचन्द एवं वादी श्रीराम के नाम बचपन में ही मेरी कुल आराजी 4.75 है. में से नियमानुसार इन दोनो को 1/4–1/4 भाग दे नाम करवा दिया था। जिसकी ताईद हाल जमाबन्दी करती है। अब प्रतिवादी संख्या–01 के पास जो भूमि बची है वह नियमानुसार उसके दो पुत्र मनोहर एवं महेश की है जिसका दान पत्र प्रतिवादी संख्या–01 ने इन दोनों के नाम करके रजिस्टर्ड करवा दिया है। अपने अपने हिस्से पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या–02 कब्जा काश्त कर रहे है। यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–02 जो कि प्रतिवादी संख्या–01 के पुत्र है, को प्रतिवादी संख्या–01 पूर्व में ही उनका हिस्सा दे चुका है। अब वादी किसी प्रकार का हिस्सा प्रतिवादी संख्या–01 की भूमि में से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए इनका दावा मय हरजा खरचा खारिज फरमाया जावें। जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा हर्जा खर्चा स्पेशल कॉस्ट से खारिज फरमाया जावें।

जवाब प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या– 01 की ओर से निम्न प्रकार पेश किया कि पैरा संख्या–01 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। पैरा संख्या–02 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। कुल आराजी के हिसाब के पूर्व में ही अपने अपने हिस्से अनुसार आराजी 1/4, 1/4 भाग वादी एवं प्रतिवादी संख्या–02 पूर्व में ही प्राप्त कर चुके है तथा कब्जा काश्त है पैरा संख्या–03 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या–01 उक्त आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर रहा है ना हीं वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। पैरा संख्या–04 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है ना ही किसी प्रकार से वादी के उपयोग एवं उपभोग में व्यवधान किया जा रहा है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या –02 अपना हिस्सा पूर्व में ही प्राप्त कर चुके है। पैरा संख्या–05 गलत एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर विचरित होने के कारण अस्वीकार है। पैरा संख्या–06 कानूनी है जिसका जवाब आवश्यक नहीं है।

अतिरिक्त कथन यह कि प्रतिवादी संख्या–01 ने पूर्व में ही अपने भाई रमला पुत्र गणेश से जमीन को खरीदकर प्रतिवादी संख्या–01 भागचन्द एवं वादी श्रीराम के नाम बचपन में ही मेरी कुल आराजी 4.75 है. में से नियमानुसार इन दोनो को 1/4–1/4 भाग दे नाम करवा दिया था। जिसकी ताईद हाज जमाबन्दी करती है। अब प्रतिवादी संख्या–01 के पास

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

मि बची है वह नियमानुसार उसके दो पुत्र मनोहर एवं महेश की है जिसका दान पत्र दी संख्या–01 ने इन दोनों के नाम करके रजिस्टर्ड करवा दिया है। अपने अपने हिस्से दी एवं प्रतिवादी संख्या–02 कब्जा काश्त कर रहे है। कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या–02 के प्रतिवादी संख्या–01 के पुत्र है, को प्रतिवादी संख्या–01 पूर्व में ही उनका हिस्सा दे है। अब वादी किसी प्रकार का हिस्सा प्रतिवादी संख्या–01 की भूमि में से प्राप्त करने के कारी नहीं है। इसलिए इनका दावा मय हरजा खरचा खारिज फरमाया जावें।

वाब प्रार्थना–पत्र प्रतिवादी संख्या– 3, 4 की ओर से निम्न प्रकार पेश किया कि पैरा स0 2 कानूनी है जो स्वीकार है पैरा स0 3 यह कि उक्त वाद मे दिनॉक 07–07–2020 को यालय सहायक कलक्टर अलवर के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश किया था गलत एंव गढन्त तथ्यो के आधार पर विरचित होने के कारण अस्वीकार है केवल इतना स्वीकार है उक्त आराजी वाके ग्राम पूनखर मे स्थित है उक्त आराजी के कुल 1/2 भाग पर तेवादी स0 1 का तथा 1/4, 1/4 भाग पर प्रतिवादी स0 2 एंव वादी का कब्जा काश्त रता आ रहे है प्रतिवादी स0 1 प्रभाती ने अपने हिस्से की आराजी को नियमानुसार एंव हिस्सेनुसार प्रतिवादी स0 3 व 4 महेश एंव मनोहर को जर्ये दान पत्र दे दिया है क्योकि पूर्व मे तिवादी स0 1 प्रभाती वादी श्रीराम को एंव प्रतिवादी स0 2 भागचन्द को उनके हिस्से की आराजी का नियमानुसार एंव हिस्सेनुसार भाग दे चुका था पैरा स0 2 गलत एंव मनगडन्त तथ्यो के आधार पर विरचित होने के कारण अस्वीकार है नाही सिचाई का स्तोत (बोरिंग) पर प्रतिवादीगण का कब्जा है नाही उक्त विवादित आराजी पर किसी प्रकार नवीन निर्माण का कार्य कर रहा है नाही किसी गैर दीगर को उक्त भूमी का बेचान कर रहा है। पैरा स0 3 गलत एंव मनगडन्त तथ्यो के आधार पर विरचित होने के कारण अस्वीकार है प्रतिवादी स0 1 उक्त आराजी मे किसी प्रकार का निर्माण कार्यनही कर रहा है नाही वादी के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान कर रहा है। पैरा स0 4 गलत एंव मनगडन्त तथ्यो के आधार पर विरचित होने के कारण अस्वीकार है विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा रहा है नाही किसी प्रकार से वादी के उपभोग मे व्यवधान किया जा रहा है। पैरा स0 5 कानूनी है जिसका जबाव देना आवश्यक नही है उक्त प्रार्थना पत्र मे वादी ने धारा 80 जाप्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश नही किया है नाही प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र की कोई नकल प्रदान की है। पैरा स0 6 गलत एंव मनगडन्त तथ्यो के आधार पर विरचित होने के कारण अस्वीकार है बिनाय दावी दिनॉक 01–07–2020 को गलत तरीके एंव मनगढन्त तरीके से अंकित किया है प्रतिवादी स0 1 प्रभाती ने प्रतिवादी स0 4 एंव 03 मनोहर पुत्र प्रभाती एंव महेश चन्द पुत्र प्रभाती को दिनॉक 26–06–2020 को लिखा पढी करके दानपत्र कर दिया था नियमानुसार उक्त दानपत्र दिनॉक 07–07–2020 को उप पंजीयक मालाखेडा मे रजिस्टर्ड हो चुका है जिसकी जानकारी वादी को पूर्व से ही थी। पैरा स0 7 व 8 कानूनी है जिनका जबाव दिया जाना आवश्यक नही हैं।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

अतिरिक्त कथन प्रस्तुत किया कि वादी ने जानबूझकर उक्त प्रकरण मे सजरा अंकित नही किया है प्रतिवादी स0 1 के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:—

प्रभाती (पिता) श्रीमती कौशल्या देवी (माता)

श्रीराम (पुत्र) भागचन्द (पुत्र) मनोहर (पुत्र) महेश (पुत्र)

श्रीमती मुन्ना देवी (पुत्री) श्रीमती लाली (पुत्री) श्रीमती सन्तो (पुत्री)

प्रतिवादी स0 1 प्रभाती जो कि प्रतिवादी स0 3, 4 महेश एंव मनोहर तथा वादी के पिता है ने पूर्व मे ही अपने भाई रमला पुत्र गणेश से जमीन को खरीदकर भागचन्द एंव श्रीराम के नाम जर्ये नाबालिगान बचपन मे ही मेरी कुल आराजी 4.75 हैक्टर मे से नियमानुसार इन दोनो को 1/4, 1/4 भाग दे नाम करवा दिया था जिसकी ताईद हाल जमाबन्दी करती है अब प्रतिवादी स0 1 प्रभाती के पास जो भूमी बची है वह नियमानुसार उसके 02 पुत्रो प्रतिवादी स0 3 एंव 04 महेश एंव मनोहर की है जिसका दानपत्र प्रतिवादी स0 1 प्रभाती ने इन दोनो के नाम करके रजिस्टर्ड करवा दिया है अपने अपने हिस्से पर वादी एंव प्रतिवादीगण कब्जा काश्त कर रहे है क्योकि उभय पक्षकारान के पिता प्रभाती प्रतिवादी स0 1 ने पूर्व मे ही जर्ये नाबालिगान वादी एंव प्रतिवादी स0 2 भागचन्द को उनके हिस्सेनुसार भूमी दे कर नामान्तकरण करवा दिया था अब जो भूमि प्रभाती प्रतिवादी स0 1 के पास बची है वो प्रतिवादी स0 3 व 4 महेश एंव मनोहर के हिस्से की है जिसका नियमानुसार दानपत्र प्रतिवादी स0—1 उक्त दावे से पूर्व ही करवा चुका है इसलिये वादी उक्त आराजी मे से किसी प्रकार की भूमी प्राप्त करने का अधिकारी नही है इसलिये वादी का वाद मय हरजा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 987 मे कुऑ है जिससे सिचाई होती है जो कि पेतृक सम्पति है सिचाई का साधन है प्रतिवादीयान द्वारा न्यायालय के स्थगन की पालना नही कि जा रही है जिसके क्रम मे न्यायालय मे अवमानना का प्रस्तुत भी किया है आवागमन का रास्ता रोका हुआ है पानी व रास्ता प्रतिवादीगणो के द्वारा बन्द करते हुये बाज नही आ रहे है। अतः मौजूदा अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को स्थाई आदेश के रूप मे पारित कर दिया जावे।

वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 987 मे कुऑ है सिचाई का एक मात्र साधन है जिससे वादीगण प्रयोग मे नही लेने दे रहे है उक्त विवादित आराजीयान से रास्ते से सम्बंधित एक वाद मे श्रीमान के न्यायालय मे विचाराधीन है तथा एक वाद सिविल न्यायालय मे विचाराधीन है पूर्व मे 1/4 हि0 प्रभाती प्रतिवादी द्वारा वादी को दिया जा चुका है वादी का मात्र उदद्वेश्य है कि मौजूदा अस्थाई निषेधाज्ञा की आड मे परिवादी को नाजायज परेशान करना एंव दान पत्र का इन्तकाल न खुले अतः यह वाद मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस की ताईद मे

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

। सुप्रीम कोर्ट की 2019(2)RRT777 रामालिंगेशवर बनाम महादेवा निर्णय दिनॉक 2019 पेश की गई।

मने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र ज.काश्त.अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन ूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

<u>प्रथम दृष्टया केस</u> :–प्रार्थी ने विवादित आराजी के पैतृक/स्वअर्जित आराजी होना अंकित नही किया। जबकि वकील प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के पैतृक/स्वअर्जित होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं किया। जिससे यह साबित हो सके कि विवादित आराजी पैतृक है अथवा स्वअर्जित, इसलिये दावे में साक्ष्य व सबूत के आधार पर मेरिट पर निर्णय किया जावेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी/अप्रार्थीगण दोनो के हक में साबित होते है।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> :–प्रार्थीगण ने विवादित आराजी मे स्वय को अबट आराजी मे सहखातेदार बताया है जो सही है परन्तु परिवार का सजरा प्रस्तुत नहीं किया है कि 1/4 हिस्से आराजी अर्जन की स्थिति स्पष्ट हो सके जिससे प्रतीत होता कि प्रार्थी द्वारा स्पष्ट मानसिकता एंव स्वच्छ विचारो के साथ प्रस्तुत नही किया गया है मात्र जमाबन्दी संवत 2073–76 पेश की है। प्रार्थी द्वारा अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाये जाते है।

3. <u>नापूर्ति क्षति</u> :– प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा हो यह साबित नहीं हो रहा है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में मे मौका, सिचाई का साधन, रास्ता उपभोग, उपयोग मे मजाहमत नही करने पर ही पूर्ण फोकस किया है प्रकरण मे पत्रावली पर प्रस्तुत दान पत्र 07–7–20 को हुआ है तथा जमाबन्दी के अवलोकन से ज्ञात्वय है कि जमाबन्दी पर न्यायालय के आदेश का नोट दिनॉक 13.07.2020 को अंकित किया गया है। दान पत्र मे सिचाई के साधन आराजी खसरा नम्बर 987 रकबा 01 ऐयर गै0मु0 चाह का कोई इन्द्राज अंकन नही है जमाबन्दी मे आदिनॉक तक अप्रार्थी के नाम है अतः नापूर्ति होने वाली क्षति भी अप्रार्थीगण के पक्ष में पाई जाती है।

चूंकि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन ,नापूर्ति होने वाली क्षति पर विचार किया जाता है परन्तु उक्त प्रकरण की परिस्थितियो मे कुछ अन्य बाते भी विचारणीय प्रतीत होती है कि उभयपक्षो द्वारा बहस मे सिचाई के साधन को ही ज्यादा फोकस किया है वादी स्वय किस प्रकार से किस हैसीयत से जमाबन्दी मे खातेदार है बावत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2019 (2) RRT 777 रामालिंगेशवर बनाम महादेवा निर्णय दिनॉक 05–4–2019 जो अप्रार्थी द्वारा पेश की गई है कि उसके अनुसार'' एक सह–हिस्सेदार से रजिस्टर्ड विक्रय

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

प्रत्यर्थी द्वारा भूमी क्रय की सम्पति के सह हिस्सेदार के विरूद्व निषेधाज्ञा का दावा नही किया जा सकता है'' जो पूर्णतय चस्पा होते है।

अतः बहस/राजस्व रिकॉर्ड/जबाव आदि सभी बाते के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचते है कि प्रकरण मे मौके की यथास्थिति बनाये रखने पर दोनो ही पक्षो का विशेष ध्यान आर्कर्षित है पूर्व मे जारी अस्थाई निषेधाज्ञा मे मौके एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बावत अप्रार्थीगणो को पाबन्द किया हुआ है उक्त पूर्व आदेश मे आशिंक संशोधन किया जाकर रिकॉर्ड की यथास्थिति अंकन को विलोपित किया जाकर प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम के तहत प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

अनराधा हरित, R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 15-11-21 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

अनराधा हरित, R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)